

SHRI S. M. BANERJEE : I am not and I do not want. With your white strip of half you can become Indira Gandhi.

MR. CHAIRMAN : As I said it will be discussed tomorrow.

SHRI SHEO NARAIN : We will send him to the medical college.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : A request has been made by Mr. Sezhlyan that I may reply tomorrow in detail. If you like I will reply tomorrow.

MR. CHAIRMAN : He may reply now.

— — —

17.22 hrs.

CENTRAL SILK BOARD
(AMENDMENT) BILL—contd.

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : सभापति जी, माननीय सदस्यों ने बहुत से सजेन्स रखें। बहुत से सदस्यों ने कुछ सिल्क बॉर्ड की कमियां बताई, कुछ नये सजेन्स रखें, लेकिन मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि यह बिल ऐसा बिल है कि जो बड़ा कन्ट्रोवर्शियल बिल नहीं है। सिर्फ एक घारा इस में जो दी गई है एमेंडमेंट के लिए वह यह है कि इस को काश्मीर राज्य में लागू किया जाए और दूसरी यह है कि जो बेलेंस सीट है, उस का आडिट कम्पट्रोलर, एण्ड आडिटर जनरल द्वारा किया जाय और रिपोर्ट इस में पेश की जाये। दूसरी चीज यह है कि जो रूल्स बनें वे भी हाउस में रखें जाएं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ नये प्वाइन्ट्स उठाये हैं, उन के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जहां तक भारत में सिल्क उद्योग का प्रश्न है, भारत संसार में चौथे दर्जे पर आता है। सब से पहला दर्जा जापान का है और फिर दूसरे दूसरे देशों का है। इस हिसाब से हम यह देखते हैं कि हमारे देश में यह उद्योग पुराने

जमाने से चला आ रहा है और बराबर तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। जहां तक हमारे देश में सिल्क पैदावार का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सन् 1966 में देश में 20.47 लाख किलोग्राम सिल्क पैदा हुआ, सन् 1967 में 22.30 लाख किलोग्राम और सन् 1968 में 23.21 लाख किलो सिल्क देश में पैदा हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी : वह सब कहाँ गया ?

श्री राम सेवक : कुछ की देश में खपत हो गई और—कुछ बाहर चला गया और एक्सपोर्ट हो गया।

श्री शिव नारायण : कुछे रसा चला गया ?

श्री राम सेवक : रसा भी गया है, सभी जगह गया है, सारे संसार में गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस इंडस्ट्री में जो एम्प्लायमेंट है भिन्न भिन्न स्टेट्स में, उस के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम्प्लायमेंट पाजीशन जो देश में सिल्क इंडस्ट्री की है, वह यह है :—

	आदमी
आन्ध्र प्रदेश	10 हजार
आसाम	9.72 लाख
बिहार	1.25 लाख
हिमाचल प्रदेश	5 हजार
जम्मू काश्मीर	2.50 लाख
मध्य प्रदेश	48 हजार
तामिलनाडू	68 हजार
मैसूर	13 लाख
मनीपुर	8 लाख
उड़ीसा	1.14 लाख
वेस्ट बंगाल	1.56 लाख

इस तरह से कुल 32 लाख व्यक्ति इस एम्प्लायमेंट में लगे हुए हैं। ज्यादातर गरीब इसमें काम करते हैं, लेकिन उनकी पैदावार

का अधिकतर भाग स्थानीय महाजनों द्वारा जाइजेस्ट कर लिया जाता है। वह उनकी चीज कम कीमत में खरीदते हैं और ज्यादा भाव पर बेचते हैं। इसके लिये सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न कर रही है कि जो इस उद्योग में लगे हुए लोग हैं उन की कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई जायें। कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा सरकार मदद करती है। लेकिन अभी तक हमारा यह एक्स्पेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में यह विशेष तौर से लागू किया गया था, लेकिन वहां भी यह फेल हो गया। इसी लिए जो वहां के स्थानीय कारीगर हैं उनको यह दिक्कतें आ रही हैं।

श्री डार ने काश्मीर के बारे में कुछ कहा। जहां तक काश्मीर के प्रोडक्शन का सवाल है, पिछले वर्ष लगभग 98 हजार किलोग्राम सिल्क वहां बना, लेकिन इस वर्ष प्रोडक्शन में कुछ कमी हो गई और केवल 48 हजार किलोग्राम सिल्क वहां बना। इसके कुछ कारण हैं। इसके बारे में हमारी सरकार ने वहां की गवर्नमेंट को लिखा है, और मेरा ख्याल है कि वहां की सरकार इस पर विचार कर के हम को जवाब देगी। उसके बाद जो भी हो सकेगा हम वहां के बुनकरों की, सिल्क पैदा करने वालों की, मदद करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहयोग करेंगे।

श्री शिव नारायण : कुछ श्री कछवाय को मदद कीजिए।

श्री राम सेवक : श्री कछवाय को मदद मिलेगी, वह कोआपरेटिव बना लें।

इसके बाद जहां तक देश से सिल्क के निर्यात का प्रश्न है, मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि 1967 में 342.11 लाख रु० का सिल्क बाहर गया, 1968 में 550 लाख रु० का सिल्क गया और 1969 अक्टूबर तक 1037

लाख रु० का गया, लेकिन मेरा खयाल है कि वर्ष के समाप्त होने तक हमारा एक्स्पॉर्ट 1200 लाख रु० तक पहुंचेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने टिप्पणी की है और शक जाहिर किया है। मेरे पास जो डिवेलुएशन के वाद के फिगरस हैं मलबरी और टसर के एक्स्पॉर्ट के वह डालर्स में हैं। मैं हाउस को बतलाना चाहता हूँ कि वह क्या हैं।

1966	...	4,228 dollars
1967	...	4,560 dollars
1968	...	7,335 dollars
1969 upto	September...	11,723 dollars

इस तरह से पता चलेगा कि माननीय सदस्यों का जो शक है वह सही नहीं है।

श्री क० मि० मधुकर : आप बतलायें कि यू० एस० ए० और हांगकांग को एक्स्पॉर्ट बढ़ा है या घटा है।

श्री राम सेवक : मैं जो कलेक्टिव फिगरस हैं वह दे रहा हूँ।

श्री मनु भाई पटेल (डभोई) : कह दीजिए कि बढ़ है।

श्री राम सेवक : जब तक सही इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने नये प्वाइंटस उठाये हैं जैसे श्री मुतुस्वामी ने कहा है कि construction of research stations had suffered in Mosore. He said that more money should be given for construction of research stations at Mysore and Ranchi. The matter is under active consideration. Buildings are under preparation. Construction work in Ranchi is already under way. For Mysore, it is under examination, in consultation with the Finance Ministry.

SHRI SEZHIYAN : For the past so many years it is under consideration. We want some assurance from the Minister when the consultation will be over and construction will start.

SHRI RAM SEWAK : The matter is with the Finance Ministry. Unless I get their clearance, I cannot proceed. But I can give the assurance that we will proceed further on it after it is received from Finance.

SHRI SEZHIYAN : How long will it take for the file to come from Finance ?

SHRI RAM SEWAK : Unless the file comes, I cannot say anything.

SHRI SEZHIYAN : He simply passes on the work to some other department.

SHRI RAM SEWAK : I hope it will come in the near future.

MR. CHAIRMAN : He may continue tomorrow. We have to take up the half-hour discussion just now.

17.31 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION ALLEGAL ENTRY OF PAKISTANIS INTO AJMER

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (वागपत) : सभापति महोदय, मैं आज जो चर्चा सदन के सामने उठा रहा हूँ वह कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के बिना वीसा के अजमेर में जाने के सम्बन्ध में है। उसके साथ भारत सरकार के स्टील और हेवी इंजीनियरिंग विभाग के डिप्टी मिनिस्टर श्री शफी कुरेशी का नाम भी जुड़ा हुआ है। यह सवाल इस सदन में दो बार लिखित रूप में प्रस्तुत हुआ है, एक 19 नवम्बर को और दूसरे 21 नवम्बर को। 19 नवम्बर को इसका उत्तर प्रधान मंत्रों जी ने दिया है और 21 नवम्बर को इसका उत्तर गृह मंत्री जी ने दिया है। इन दोनों ही उत्तरों में जो कहानी बताई गई है वह यह है कि एक पाकिस्तानी नागरिक जिन का नाम श्री भीर पीर अजीज हुक्कानी है और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे जो पाकिस्तान से भारत आए थे 20 अगस्त से लेकर 19 नवम्बर तक के लिए तीन महीने के

लिए परमिट ले कर, वे 31 अगस्त को हमारे कुरैशी साहब के साथ गाड़ी में गए और पहली सितम्बर को अजमेर जा कर उतरे। उतरने पर पुलिस वालों ने उनको रोका और उनको पूछा कि उनके कागजात कहां हैं। उनको दिखाया जाए। उनके पास कोई कागजात नहीं थे। लिहाजा एक अंडरटेकिंग लिखत रूप में दी गई कि हम अपने कागजात भूल आए हैं और दिल्ली जा कर कागजात दिखा देंगे। इस पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया और दिल्ली आ कर वे कागजात दिखाए गए और उन कागजात में यह कमी पाई गई कि उनके पास अजमेर जाने का वीसा नहीं था। लिहाजा यहां के मैजिस्ट्रेट ने उनको फारेनर्ज एक्ट 1946 की दफा 14 के वायोलेशन में अपराधी पाया और अपराधी पाते हुए उन्हें चार सौ रुपये तथा एक दिन कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।

यह है वह कहानी जो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में बताई गई है। इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न तीन सितम्बर को राजस्थान असेम्बली में भी उठाया गया। वहां पर जो इसका उत्तर दिया गया उस में और यहां जो उत्तर दिया गया उस में बड़ा भारी भेद है। वह भेद यह है कि भारत सरकार ने उत्तर दिया है, मालूम यह पड़ता है कि उस में बहुत कोशिश की गई है, बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ श्री कुरैशी को जितना भी बचाया जा सके, जितना भी उनको उस में से निकाला जा सके, उतना निकाला जाए और श्री कुरैशी के सम्बन्ध में केवल यह बताया गया है कि वह रेल में उनके साथ सफ़र कर रहे थे और इससे ज्यादा और कोई श्री कुरैशी की इस प्रश्न में चर्चा नहीं है। लेकिन राजस्थान असेम्बली में तीन सितम्बर को वहां के गृह मंत्री श्री दामोदर लाल व्यास ने जो उत्तर दिया उस में उन्होंने यह कहा कि जो अंडरटेकिंग पुलिस के सामने दी गई वह अंडरटेकिंग भारत सरकार के उत्तर से तो यह मालूम पड़ता है कि श्री हुक्कानी ने